



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127769

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी संख्या - 20136 वर्ष 2026

मुन्ना परशाद कोल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : सुशील

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह ज़मानत अर्ज़ी, मुकदमा अपराध संख्या 49/2026 (उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3/5ए/5बी/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत, थाना नौगढ़, ज़िला चंदौली) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आवेदक और दो अन्य लोग गाय के वंश के दो जानवरों को ले जा रहे थे; आवेदक के पास से कोई बीफ़ या जानवर काटने का हथियार बरामद नहीं हुआ। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 11.05.2026 से जेल में बंद है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुक़दमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, ए.जी.ए. ने आवेदक को ज़मानत देने की अर्ज़ी का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के बारे में उसके खिलाफ़ काफी सबूत हैं, इसलिए वह ज़मानत पर रिहा होने का हक़दार नहीं है।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि और कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, यह न्यायालय पाती है कि आवेदक ज़मानत पाने का हक़दार है।

6. इसलिए, ज़मानत की अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. आवेदक - **मुन्ना प्रसाद कोल**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि वह इस शर्त का पालन नहीं करता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय में तय हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकती है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) वाद शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313/ बी.एन.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण जज पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा।

17 जून, 2026

निर्देश

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।